कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, हाथरस

पत्रांक– 1047 / निविदा / 117 दिनांक– 25.07.2015

–: निविदा सूचना :–

अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ की ओर से जनपद–हाथरस के विकास खण्ड–सिकन्द्राराऊ की पिपलगवां ग्राम पेयजल योजना के अन्तर्गत निम्न कार्यों हेतु समुचित अनुभव रखने वाले विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से शीलबन्द निविदायें निम्न तालिका के अनुसार अपरान्ह 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, जो जिलाधिकारी कार्यालय, हाथरस में निम्न तालिका में अंकित दिनांक को मध्यान्ह 12:00 बजे निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जायेंगी। ये निविदायें मण्डल कार्यालय, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, हाथरस, कार्यालय मुख्य अभियन्ता (आ0क्षे0) उ0प्र0 जल निगम, आगरा से दिनांक– 20.08.2015 से दिनांक 22.08.2015 तक अपरान्ह 5:00 बजे तक क्रय की जा सकती है।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	पंजीकृत श्रेणी	कार्य की अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा विक्रय का अंतिम दिनांक	निविदा आमंत्रण का दिनांक	प्री–क्वालीफाइड बिड खोलने का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	जनपद–हाथरस के विकास खण्ड–हाथरस की चिन्तापुर बदन ग्राम पे0यो0 के अन्तर्गत टर्न की बेस पर अवर जलाशय 1 नग (150 कि0 ली0/14 मी0 स्टेजिंग, राइजिंगमेन, वितरण प्रणाली, बाउण्ड्रीवाल, एप्रोच रोड़ एवं गेट, ग्राउण्डवाटर रीचार्जिंग यूनिट एवं तत्सम्बन्धित कार्य	**‘ए’ एवं ‘बी’** (रिजरवायर)	112.80	1.70	10000+ 12.5 प्रतिशत वैट	12 माह	22.08.15	24.08.15	26.08.15

2.	जनपद–हाथरस के विकास खण्ड–हाथरस की बेरगांव ग्राम पे0यो0 के अन्तर्गत टर्न की बेस पर अवर जलाशय 1 नग (100 कि0 ली0 / 10 मी0 स्टेजिंग, राइजिंगमेन, वितरण प्रणाली, बाउण्ड्रीवाल, एप्रोच रोड़ एवं गेट, ग्राउण्डवाटर रीचार्जिंग यूनिट एवं तत्सम्बन्धित कार्य	**‘ए’ एवं ‘बी’** (रिजरवायर)	64.54	0.97	5000+ 12.5 प्रतिशत वैट	12 माह	22.08.15	24.08.15	26.08.15
3.	जनपद–हाथरस के विकास खण्ड–हाथरस की मल्है ग्राम पे0यो0 के अन्तर्गत टर्न की बेस पर अवर जलाशय 1 नग (50 कि0 ली0 / 10 मी0 स्टेजिंग, राइजिंगमेन, वितरण प्रणाली, बाउण्ड्रीवाल, एप्रोच रोड़ एवं गेट, ग्राउण्डवाटर रीचार्जिंग यूनिट एवं तत्सम्बन्धित कार्य	**‘ए’ एवं ‘बी’** (रिजरवायर)	47.80	0.75	5000+ 12.5 प्रतिशत वैट	12 माह	22.08.15	24.08.15	26.08.15
4.	जनपद–हाथरस के विकास खण्ड–सादाबाद की बिलारा ग्राम पे0यो0 के अन्तर्गत टर्न की बेस पर अवर जलाशय 1 नग (175 कि0 ली0 / 14 मी0 स्टेजिंग, राइजिंगमेन, वितरण प्रणाली, बाउण्ड्रीवाल, एप्रोच रोड़ एवं गेट, ग्राउण्डवाटर रीचार्जिंग यूनिट एवं तत्सम्बन्धित कार्य	**‘ए’ एवं ‘बी’** (रिजरवायर)	129.18	1.95	10000+ 12.5 प्रतिशत वैट	12 माह	22.08.15	24.08.15	26.08.15

5.	जनपद–हाथरस के विकास खण्ड–सादाबाद की गुखरौली ग्राम पे0यो0 के अन्तर्गत टर्न की बेस पर अवर जलाशय 1 नग (50 कि0ली0/10 मी0 स्टेजिंग, राइजिंगमेन, वितरण प्रणाली, बाउण्ड्रीवाल, एप्रोच रोड़ एवं गेट, ग्राउण्डवाटर रीचार्जिंग यूनिट एवं तत्सम्बन्धित कार्य	**'ए' एवं 'बी'** (रिजर वायर)	40.00	0.60	5000+12.5 प्रतिशत वैट	12 माह	22.08.15	24.08.15	26.08.15

<u>नियम व शर्तें :– (निविदा हेतु)</u>

1. वांछित धरोहर धनराशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 अथवा पोस्ट ऑफिस की टी0डी0/ एन0एस0सी0 जोकि सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, हाथरस के पदनाम से बन्धक होगी, निविदा के साथ अलग लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त समझी जायेगी।
2. डाक द्वारा निविदा मंगाने पर निविदा मूल्य के अतिरिक्त डाक व्यय हेतु रू0 200.00 अलग से देना होगा तथा डाक से निविदा खो जाने अथवा विलम्ब से पहुंचने पर कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
3. खण्ड कार्यालय हाथरस, मण्डल कार्यालय, अलीगढ़, क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा से निविदा क्रय की जाने वाली निविदा के लिये निविदा मूल्य की धनराशि का ड्राफ्ट अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, हाथरस के पक्ष में देना होगा। नगद धनराशि स्वीकार नहीं की जायेगी।
4. निविदा एकत्र करने/खोलने की दिनांक को अवकाश होने पर यह कार्य अगले कार्य दिवस में नियमानुसार किया जायेगा।
5. किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित होगा।
6. उ0प्र0 जल निगम में ठेकेदार का पंजीकरण जिस श्रेणी/कैटेगरी/निर्माण कार्य में होगा उसी के अनुसार निविदा निर्गत की जायेगी निविदा निर्गत हेतु अपने पंजीकरण की फोटो कॉपी (वैधता अवधि सहित) आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। यदि निविदा फर्म द्वारा क्रय की जा रही है, तो निबन्धक द्वारा किये गये पंजीकरण की फोटो कॉपी प्रस्तुत करनी अनिवार्य है।
7. सशर्त, अधूरी अथवा अपूर्ण निर्धारित प्रपत्र वाली निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी, निविदा दरें शिड्यूल ''जी'' में अंकित आइटम वाइज अंकों एवं शब्दों में साफ–साफ पक्के पैन से लिखनी अनिवार्य होगी। अन्यथा की स्थिति में निवदा निरस्त कर दी जायेगी। अंकों एवं शब्दों में भिन्नता होने पर उस आइटम की दरें शून्य घोषित कर दी जायेंगी तथा तदानुसार कुल निविदा मूल्य का निर्धारण कर दिया जायेगा। किसी आइटम की दर (+ / —) प्लास या मानस आधार पर (यदि मांगी गयी हैं), भिन्नता होने पर न्यूनतम दर को मान्यता/स्वीकार की जायेगी, तदानुसार गणना की जायेगी। निविदा दरों में समस्त प्रकार के शासकीय टैक्स (यथा आयकर, व्यापार कर, वैट, लेवर सैस, श्रमिक बीमा, टोल टैक्स, भाड़ा आदि) सम्मिलित होंगे। इस हेतु ठेकेदार का कोई अतिरिक्त क्लेम मान्य नहीं होगा। निविदादाता निविदा डालने से पूर्व कार्यस्थल का भली भांति निरीक्षण करके वास्तविक वस्तुस्थिति के अनुसार एवं शिड्यूल ''जी'' की शर्तों के अनुसार अपनी दरें अंकित करें।
8. निविदा के साथ रू0 100/– मात्र का नॉनजूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। कि अनुबन्ध न करने की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं

होगी। यह घोषणा पत्र धरोहर धनराशि के लिफाफे में रखना होगा अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

9. निविदा के साथ रू0 100/— मात्र का नॉनजूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र पर शासनादेश सं0 609/नौ—2007—249 ज/06 दिनांक— 26.02.2007 के अनुसार शपथ—पत्र सम्पूर्ण संलग्नक सहित देना होगा। अपूर्ण शपथ—पत्र वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

10. निविदा के साथ रू0 10 मात्र के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित शपथ—पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसका अथवा फर्म के पार्टनर का स्वयं अथवा पत्नी का निकट सम्बन्धी उ0प्र0 जल निगम में कार्यरत अथवा सेवारत नहीं है।

11. जिन ठेकेदारों द्वारा विभागीय दरों से कम प्रतिशत पर निविदा दरें दी जायेंगी उनसे शासनादेश सं0 622/23—12—2012—2 ऑडिट/08 टी0सी0—2 लखनऊ दिनांक— 08.06.2012 के अनुसार अतिरिक्त परफॉर्मेन्स सिक्योरिटी अनिवार्य रूप से ली जायेगी।

12. निर्माण कार्य पर लगाये जाने वाले समस्त प्रकार के श्रमिकों की बीमा पॉलिसी अनुबन्ध के साथ अनिवार्य रूप से लगानी होगी एवं कार्य के सम्पादन हेतु सेवानियोजित अथवा संविदा के तौर पर अथवा अस्थाई तौर पर रखे जाने वाले व्यक्तियों का चरित्र सत्यापन तथा पुलिस क्लीरियेन्स अनुबन्ध के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

13. निविदा स्वीकृति के उपरान्त ठेकेदार को उ0प्र0 भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन एवं सेवा शर्त विनियम (अधिनियम—1996) तथा सम्बन्धित उ0प्र0 नियमावली के अन्तर्गत श्रम उपायुक्त कार्यालय में श्रमिकों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

14. बेवसाइट पर प्रकाशित निविदा सूचना में किसी प्रकार की भिन्नता होने पर सम्बन्धित कार्यालय में उपलब्ध निविदा प्रपत्र सूचना ही प्रमाणिक होगी।

15. निर्माण कार्य में प्रयुक्त की जा रही समस्त प्रकार की आपूर्ति/सामग्री की टैस्ट सर्टिफिकेट/स्पेशिफिकेशन सम्बन्धित निर्माता कम्पनी से एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से कर नियमानुसार कार्यालय में जमा करना होगा एवं आर0सी0सी0 की क्यूब टैस्ट रिपोर्ट स्वयं के खर्चे पर कराकर प्रत्येक बिल के साथ संलग्न करनी होगी तथा समय—समय पर विभाग के निर्देशानुसार आपूर्ति/सामग्री की टैस्टिंग शिड्यूल ''जी'' एवं ''ई'' के अनुसार करनी होगी।

16. योजना को पूर्ण कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/जल प्रबन्धन समिति/निकाय को हस्तान्तरित करने का दायित्व ठेकेदार/फर्म का होगा तभी नियमानुसार/शर्तो के अनुरूप भुगतान किया जायेगा।

17. अपराधिक रिकार्ड वाले/स्टेट बार कौंसिल में पंजीकृत वकील/दो वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हुये राजकीय अभियन्ता/अधिकारी को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। संज्ञान में आने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी। निविदा की वैधता, निविदा आमंत्रण की दिनांक से चार माह तक होगी।

18. निविदा प्रपत्र में संलग्न अनुभव प्रमाण—पत्र के सभी कॉलम पूर्ण होने चाहिये अन्यथा की स्थिति की जानकारी प्राप्त होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

19. मुख्य अभियन्ता (आ0क्षे0) उ0प्र0 जल निगम, आगरा के पत्रांक सं0 310/25/52 दिनांक— 21.01.2014 के अनुरूप निम्न शर्तें सम्मिलित की जा रही हैं—

(अ) अनुबन्ध में निर्धारित समय सीमा में 80 प्रतिशत संतोषजनक कार्य पूर्ण न करने की दशा में ठेकेदार को प्रथम चरण में डिफॉल्टर घोषित करते हुये अन्य कार्यों की निविदा डालने हेतु डिबार किया जायेगा। यदि बढ़ायी गई अवधि में कार्य फिर भी पूर्ण न किया जाये तो द्वितीय चरण में ब्लैक लिस्ट किया जायेगा।

(ब) कार्य हेतु निर्धारित समय सीमा के अन्दर 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण करने की स्थिति में ही समयवृद्धि पर विचार किया जायेगा।

20. शेष शर्तें निविदा प्रपत्र के अनुसार होंगी।

(जे0पी0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक– उपरोक्तानुसार।

<u>प्रतिलिपि उपरोक्त संदर्भ में निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–</u>

1. जनसम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 जल निगम, 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को छः प्रतियों में सी0डी0 सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त निविदा का प्रकाशन राष्ट्रीय एवम् क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्रों में कम से कम दो बार एक दिन के अन्तराल पर एवं जल निगम की वेवसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
2. मुख्य अभियन्ता (आ0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, आगरा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, अलीगढ़।
4. जिलाधिकारी, हाथरस।
5. इन्चार्ज, एन0आई0सी0 कलैक्ट्रेट परिसर, हाथरस को सी0डी0 सहित इस आशय से प्रेषित कि वह इसे बेवसाइट पर प्रदर्शित करने की कृपा करें।
6. अपर जिलाधिकारी, हाथरस।
7. महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, आगरा।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता (मण्डार्न्तगत)
9. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता (खण्डान्तर्गत) को ड्राफ्ट टैण्डर बनाने हेतु।
10. खण्डीय लेखाकार/जूनियर इंजीनियर (तकनीकी)/मुख्य लिपिक
11. नोटिस बोर्ड/समस्त पंजीकृत ठेकेदार।

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, हाथरस

पत्रांक– 1047 / निविदा / 117 दिनांक– 25.07.2015

–: निविदा सूचना :–

अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद–हाथरस के विकास–हाथरस अन्तर्गत 03 नग पाइप्ड पेयजल योजनाओं नामतः चिन्तापुर बदन ग्राम पे0यो0, मल्है ग्राम पे0यो0, बेरगांव ग्राम पे0यो0, एवं विकास खण्ड–सादाबाद अन्तर्गत 02 नग पाइप्ड पेयजल योजनाओं नामतः बिलारा ग्राम पे0यो0 एवं गुखरौली ग्राम पे0यो0 के विभिन्न कार्यों हेतु टर्न की आधार पर निविदा की बिक्री दिनांक 20.08.2015 से 22.08.2015 तक कार्यालय समय में कार्यालय मुख्य अभियन्ता (आ0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, आगरा, अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, अलीगढ़, जिलाधिकारी, हाथरस एवम् अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से की जायेंगी। निविदा प्रपत्र का मूल्य निविदा सूचना में दिया गया है। निविदा के कार्यों का विस्तृत विवरण जल निगम की वेब साईट WWW.UPJN.ORG से अथवा सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

(जे0पी0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0 सं0 /निविदा/ उक्त दिनांक–

प्रतिलिपि उपरोक्त संदर्भ में निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 जल निगम, 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को छः प्रतियों में सी0डी0 सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त निविदा का प्रकाशन राष्ट्रीय एवम् क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्रों में कम से कम दो बार एक दिन के अन्तराल पर एवं जल निगम की वेवसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
2. मुख्य अभियन्ता (आ0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, आगरा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, अलीगढ़।
4. जिलाधिकारी, हाथरस।
5. इन्चार्ज, एन0आई0सी0 कलैक्ट्रेट परिसर, हाथरस को सी0डी0 सहित इस आशय से प्रेषित कि वह इसे बेवसाइट पर प्रदर्शित करने की कृपा करें।
6. अपर जिलाधिकारी, हाथरस।
7. महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, आगरा।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता (मण्डार्न्तगत)
9. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता (खण्डान्तर्गत) को ड्राफ्ट टैण्डर बनाने हेतु।
10. खण्डीय लेखाकार/जूनियर इंजीनियर (तकनीकी)/मुख्य लिपिक
11. नोटिस बोर्ड/समस्त पंजीकृत ठेकेदार।

अधिशासी अभियन्ता